laid in the country. So far as the time limit is concerned, I do not have the exact figures with me.

SHRI B.J. PANDA: Please give an undertaking that it will be reduced.

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR: Sir, not only time limit, even rate is also getting reduced. Normally, it takes eight months. We are trying our level best to reduce the time limit and also the rate.

SHRI PREM CHAND GUPTA: Mr. Chairman, Sir...

श्री सभापति: नेक्स्ट क्वैश्चन। ...(व्यवधान)... अगर आप इस पर जानकारी करना चाहते हैं तो इसी क्वैश्चन पर एक हाफ एन आवर डिसकशन के लिए लिखकर दे दीजिए। माननीय मंत्री जी भी तैयार रहेंगे और मैं एलाऊ कर दूंगा।

New prices of wheat and rice

*149. SHRI EKANATH K. THAKUR: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have announced new prices for wheat and rice at which exporters can lift from the Central Pool; and

(b) if so, the new prices and the stock of wheat and rice with Government?

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD YADAV): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) No, Sir.

In 2000-2001, the export of foodgrains was allowed from the Central Pool in view of the surplus stocks available. In order to promote and facilitate exports, certain post delivery expenses to cover cleaning, upgrading, fumigation, handling, etc., are allowed to the exporters. An Inter-Ministerial High Level Committee of the FCI makes suitable recommendations to the Government in this regard.

The stocks in the Central Pool including with the State Agencies as on 1st November, 2003 were 164 lakh MTs of wheat and 109 lakh MTs of rice.

SHRI EKANATH K. THAKUR: Sir, in part (b) of my question I asked about the current prices for wheat and rice at which exporters can lift from the Central Pool. Somehow, the Minister has not answered that question. Anyway, I would like to put my first supplementary. The hon.Minister has given the figures that current stock of wheat and rice in the Central Pool is 16.5 million tonnes and 11 million tonnes respectively. I understand that buffer norms say that there will be a stock of 11 million tonnes of wheat and 6 to 6.5 million tonnes of rice. I would like to know from the hon. Minister: When were these buffer norms fixed? What is the basis of those norms? I would also like to know whether they have been revised.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि एक्सपोर्ट प्राइसेस के बारे में जो जानकारी दी गई है वह पूर्ण जानकारी नहीं है। माननीय सभापति महोदय, एक्सपोर्ट के लिए वर्तमान में जो दरें चल रही हैं, वह गेहूं के लिए 6,025/- रुपए प्रति टन और चावल के लिए 7,300/- रुपए प्रति टन चल रही है। अभी जो हाई पावर कमेटी है उसकी रिपोर्ट आ चुकी है और मुझे यह कहते हुए खुशी है कि इनकी दरें बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिसके अनुसार गेहूं के लिए 500/- रुपए प्रति टन और चावल के लिए 300/- रुपए प्रति टन के हिसाब से दरें बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय क्वार्टरली लिए जाते हैं। इसके तहत् गेहूं के लिए 6,525/- रुपए प्रति टन और चावल के लिए 7,600/- रुपए प्रति टन की दरों का निर्धारण जनवरी, 2004 से होगा।

SHRI EKANATH K. THAKUR: Sir, my supplementary has not been answered. I want to know whether the buffer norms are revised from time to time. Now, because of good monsoon, we are going to have a glut of Kharif crops. Last year, the Kharif crop of rice was about 67 million tonnes, and this year, we are expecting 77-78 million tonnes. So, what is the Government's proposal this year? How much quantity are they procuring from this for the Central Pool? What will they do if there is a glut in the market and how will they help the farmers?

श्री शरद यादव: सभापति जी, बफर के नॉर्म्स प्लानिंग कमीशन की एक टैक्निकल कमेटी ने बनाए हैं, जो क्वार्टरली बनते हैं। उनके अनुसार जनवरी महीने में गेहूं और चावल मिलाकर हमारे पास स्टॉक होना चाहिए 168 लाख टन, अप्रैल महीने में चावल और गेहूं मिलाकर होना चाहिए 158 लाख टन, जुलाई में राइस एंड व्हीट दोनों को मिलाकर स्टॉक होना चाहिए 243 लाख टन और अक्तूबर में, जो यह दौर चल रहा है, उसमें होना चाहिए 181 लाख टन, लेकिन

हमारे पास अभी स्टॉक अवेलेबल है 272 लाख टन। यह टैक्निकल कमेटी ने कहा था कि इस देश के अंदर जो फूड का स्टॉक होना चाहिए किस महीने में कितना होना चाहिए, जिसके बारे में माननीय सदस्य ब्यौरा जानना चाह रहे थे, जो मैंने आपको बताया। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि ग्लट आएगा, इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इस समय हमारे पास जो स्टॉक है वह इस देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है और जो हमारा पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट चल रहा है, उसको भी सही तरीके से पूरा करने के लिए, वॉयबल तरीके से चलाने के लिए हमारे पास काफी स्टॉक है।

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir, wheat and rice are lifted from the Central Pool (i) for consumption of the people through State agencies and (ii) for exports. Here, I want to know whether there is any difference between the price which you are charging from the State Governments and the price which you have allowed for the exporters. I would like to know the net price after deducting whatever subsidies you give them. Now, if the price fixed for the exporters is cheaper than the price which you are charging from the State Governments, will you reduce the price for the State Governments?

श्री शरद यादव: सभापति जी, माननीय सदस्य ने अभी जो बातें कही हैं, उस बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। इन्होंने एक बात विशेष तौर पर कही है कि जो एक्सपोर्ट की प्राइसिस हैं और इस देश के अंदर जो गरीब लोगों को या सूबों को अनाज दिया जाता है, उन प्राइसिस में क्या अंतर है। मैं मानता हूं कि एक्सपोर्ट में जो जाता है, उसमें जो साब्सिडी है, उसमें बीपीएल से बहुत ज्यादा है, एपीएल में निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत अंतर है लेकिन अभी इस क्वार्टर में जो एनाउंसमेंट हुई, जैसाकि अभी मेरे सहयोगी ने बताया, उस एनाउंसमेंट के बाद यह डिसपेरिटी बहुत कम हो जाएगी, गेहूं में तो ज्यादा हो जाएगी और चावल में 700 के करीब अंतर होगा। निश्चित तौर पर मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पास पिछले बरस 630 लाख मीट्रिक टन अनाज था। उस अनाज की ऐसी समस्या थी कि उसके कैरी-ओवर पर ही इतना पैसा लग जाता कि कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरी चीज यह है कि हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, जो डोमेस्टिक नीड्स हैं, ड्राउट है, इन तमाम चीजों में जो हम सहायता करते हैं, उस सहायता के नाते यह एक्सपोर्ट भी नहीं करते और 630 लाख टन हमारा स्टॉक बना रहता तो हिन्दुस्तान के किसानों का, जो हमारा एग्रीकल्चर सैक्टर है, उसमें इतना बड़ा क्राइसिस हो जाता, जिस तरह से शूगर में है। हम 54 कंट्रीज़ में चावल दे रहे हैं और 30 कंट्रीज़ में व्हीट दे रहे हैं। ये सारी योजनाएं हैं एग्रीकल्चर सैक्टर को वॉयबल बनाने के लिए। माननीय सदस्य अभी पेरिटी की बात कर रहे थे, मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर हमने 100 लाख टन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है ड्राउट में।